कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 35/2024 (GCMS 2024/146)
(आईटीआई पोर्टल नं. 212368044719051)

दीपक गोयल जाति अग्रवाल निवासी 1 बी 7 सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दीपक गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए पत्रावली का अवालेकन किया तो पाया कि उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.2024 को प्रस्तुत कर चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी। परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दुवार सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने, दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं अपीलार्थी को हर्जाना दिलावाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीगंगानगर में पंजीकृत निजी चिकित्सालयों की सूची देवें।
2. श्रीगंगानगर शहर में 01.0[illegible] से 31.12.2023 तक पंजीकृत चिकित्सालयों की [illegible]
3. श्रीगंगानगर [illegible] में निजी [illegible] संचालन के लिए पंजीकरण से मुक्त करने के नियमों व कारणों की सूची देवें।
4. श्रीगंगानगर शहर में अपंजीकृत निजी चिकित्सालयों के विरूद्ध 01.01.2020 के बाद की गयी कार्यवाही की प्रतिलिपि देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:33 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./——/2024/611 दिनांक 11.11.2024 से निमनानुसार जवाब प्रेषित किया है

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.05.2024 द्वारा चाही गई सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 246—47 दिनांक 14.05.2024 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) श्रीगंगानगर को लिख दिया गया था जिसकी प्रति कार्यालय पत्रांक 247 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ), श्रीगंगानगर द्वारा पेश किया जाना है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ), श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण, उन्हें स्थानान्तरित किया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ), श्रीगंगानगर **द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है,** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओ के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ), श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), श्रीगंगानगर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ), श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:33 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.01.[illegible]25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर